

FROM No.III

फर्द अहकाम

SDO (नियम 26)

मदालत..... मकाम.....

बनाम.....

किसम मुकदमा... 88,53,188... नं. 20... मन्. 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नघ्या व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.2019	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... राजस्थान काश्तकारी/भू सज्जस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... को पेश हो।</p>	
03/04/19	<p>..... को पेश किया गया है। ..... को पेश किया गया है। ..... को पेश किया गया है। ..... को पेश किया गया है।</p>	
03/07/19	<p>..... को पेश किया गया है। ..... को पेश किया गया है। ..... को पेश किया गया है। ..... को पेश किया गया है।</p>	
27/08/19	<p>वादी वकील उपलब्धत/प्रतिवादीगणों के सम्पन तामील इस तामील के जज/सीक्रेटरी जीवानी के अधिकारी द्वारा जारी के हुक्म होने से किमान इलवा के डर के तामील दिनांक 14/10/19 को पेश हो।</p>	



22/12/19

प्राथमिक शिक्षण विभाग  
मुंबई महानगरपालिका  
पेठे विभाग, सी. सी. एम. रोड, मुंबई  
दिनांक 22/12/19

सहायक से

14/10/19

वाडी वडील उपस्थित। उरिकागीगणों के सम्मन  
तामिल काम तामिल शिक्षा। वाडी वडील उरिका-  
गीगणों का सम्मन तल्लाना उन पेरा डरो/पेरा  
दोन पर ज्वारी डेडर पमावली दिनांक 17/12/19  
को पेरा डी।

विश्वनाथ

सहायक कलक्टर  
(SDO) वायतु

17/12/19

वाडी स्वयं व वाडी वडील उपस्थित। वाडी  
व वाडी वडील द्वारा बताया की हम वाडी व  
उरिकागीगणों के मध्य गांव के मौजिज लोगों  
द्वारा समझौता करवा दिया है लोक शिक्षा की  
भावना से हमारे मध्य समझौता हो गया है  
हम उक्त पास को नहीं चलाना चाहते हैं  
व विद्रोह करना चाहते हैं। वाडी व वाडी  
वडील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र करने वाड  
विद्रोह को स्वीकार किया जाइए वाडी का  
वाड जारी है विद्रोह खारिज किया जात है।  
पमावली मामल कुमार डेडर इन नम्बर से  
कम है, दाखिल दम्बर है।

विश्वनाथ

सहायक कलक्टर (SDO)  
वायतु

12.2019